रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7, 1976/माघ 18, 1897

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7, 1976/MAGHA 18, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 7th February 1976

G.S.R. 65(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 76/74—Central Excises dated the 20th April, 1974.

[No. 23/76-CE]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 65 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त

समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 76/74 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 20 अप्रैल, 1974 को विखण्डित करती है ।

[सं० 23/76-के० उ० शु०]

G.S.R. 66(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 158/74-Central Excises, dated the 21st December, 1974, the Central Government hereby fixes for processed rayon and artificial silk fabrics, specified in column (2) of the Table hereto annexed and chargeable with duty *ad valorem* under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the said Act, the tariff values specified in the corresponding entry in column (3) or column (4), as the case may be, of the said Table :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to—

(a) the processed rayon and artificial silk fabrics containing Lurex (metallic or plastic) yarn when the Lurex (metallic or plastic) yarn content exceeds 15 per cent of the total weight of fabrics;

(b) fents and rags of processed rayon and artificial silk fabrics.

TABLE

Sl. No.	Description	Fabrics printed or containing lurex (metallic or plastic) yarn.	Others
(1)	(2)	(3)	(4)
		(Rs. per sq. m.)	(Rs. per sq. m.)
1.	Fabrics made wholly of polyamide (Nylon) filament yarn but excluding:—		
	(1) fabrics made wholly or partly of twisted yarn or textured yarn or both;		
	(2) pleated fabrics;		
	(3) raised (velvet) fabrics;		
	(4) laces;		
	(5) satin; and		
	(6) leno fabrics.		
	(a) knitted fabrics—		
	(i) not exceeding 10 square metres per kilogram;	30·70	27·30
	(ii) exceeding 10 square metres per kilogram but not exceeding 15 square metres per kilogram; . .	20·70	17·30
	(iii) exceeding 15 square metres per kilogram but not exceeding 20 square metres per kilogram; .	16·40	13·00
	(iv) exceeding 20 square metres per kilogram but not exceeding 25 square metres per kilogram; .	15·20	11·80
	(v) exceeding 25 square metres per kilogram but not exceeding 30 square metres per kilogram;	13·50	10·00
	(vi) exceeding 30 square metres per kilogram but not exceeding 35 square metres per kilogram; .	12·25	8·90

(1)	(2)	(3)	(4)
	(vii) exceeding 35 square metres per kilogram but not exceeding 40 square metres per kilogram;	11·40	8·00
	(viii) exceeding 40 square metres per kilogram.	10·70	7·30
	(b) Fabrics not otherwise specified—		
	(i) not exceeding 10 square metres per kilogram;	31·00	27·50
	(ii) exceeding 10 square metres per kilogram but not exceeding 15 square metres per kilogram;	21·25	17·80
	(iii) exceeding 15 square metres per kilogram but not exceeding 20 square metres per kilogram;	17·15	13·80
	(iv) exceeding 20 square metres per kilogram but not exceeding 25 square metres per kilogram;	15·15	11·80
	(v) exceeding 25 square metres per kilogram but not exceeding 30 square metres per kilogram;	14·60	11·20
	(vi) exceeding 30 square metres per kilogram but not exceeding 35 square metres per kilogram;	13·85	10·40
	(vii) exceeding 35 square metres per kilogram but not exceeding 40 square metres per kilogram;	13·80	10·50
	(viii) exceeding 40 square metres per kilogram.	13·40	10·00
2	Fabrics made of a combination of polyamide (Nylon) filament yarn not exceeding 25 per cent and filament yarn of a cellulosic origin, but excluding satin, brosso (including knitted brosso) and fabrics containing textured yarn or twisted yarn or both—		
	(i) not exceeding 10 square meters per kilogram;	15·50	13·00
	(ii) exceeding 10 square metres per kilogram but not exceeding 15 sugare metres per kilogram;	11·60	9·00
	(iii) exceeding 15 square metres per kilogram but not exceeding 20 square metres per kilogram;	9·90	7·40
	(iv) exceeding 20 square metres per kilogram.	9·50	6·80
3	Fabrics made of a combination of polyamide (Nylon) filament yarn and yarn spun from synthetic staple fibre of cellulosic origin, but excluding laces and brosso (including knitted brosso)—		
	(a) Fabrics containing not more than 10 per cent of Polyamide (Nylon) filament yarn.		
	(i) not exceeding 10 square metres per kilogram;	9·40	6·60
	(ii) exceeding 10 square metres per kilogram but not exceeding 15 square metres per kilogram;	7·90	5·10
	(iii) exceeding 15 square metres per kilogram.	7·10	4·30

(1)	(2)	(3)	(4)
	(b) Fabrics containing more than 10 per cent but not more than 15 per cent of Polyamide (Nylon) filament yarn—		
	(i) not exceeding 10 square metres per kilogram;	10.60	7·80
	(ii) exceeding 10 square metres per kilogram but not exceeding 15 square metres per kilogram;	8·60	5·80
	(iii) exceeding 15 square metres per kilogram	7·60	4·80
	Fabrics made wholly of filament yarn of cellulosic origin, but excluding (1) Furnishing fabrics (including tapestry); (2) Velvet and (3) Chiffon and Chinnon—		
	(a) *Jacquared weave*—		
	(i) not exceeding 10 square metres per kilogram;	13·60	10·10
	(ii) exceeding 10 square metres per kilogram but not exceeding 15 square metres per kilogram;	10·10	6.70
	(iii) exceeding 15 square metres per kilogram.	9·60	6·20
	(b) *Other than Jacquared weave*—		
	(i) not exceeding 10 square metres per kilogram;	8·70	7·60
	(ii) exceeding 10 square metres per kilogram but not exceeding 15 square metres per kilogram;	8·20	7·10
	(iii) exceeding 15 square metres per kilogram.	7·70	6·60
	Fabrics made of a combination of filament yarn of cellulosic origin and yarn spun from synthetic staple fibre of cellulosic origin, but excluding furnishing fabrics (including tapestry)—		
	(i) not exceeding 10 square metres per kilogram;	8·60	6·30
	(ii) exceeding 10 square metres per kilogram but not exceeding 15 square metres per kilogram;	7·80	5·50
	(iii) exceeding 15 square metres per kilogram.	7·40	5·10
6	Fabrics made wholly of yarn spun from staple fibre of cellulosic origin, but excluding furnishing fabrics (including tapestry)—		
	(i) not exceeding 7·5 square metres per kilogram;	8·10	5·90
	(ii) exceeding 7·5 square metres per kilogram but not exceeding 12·5 square metres per kilogram;	7·60	5·30
	(iii) exceeding 12·5 square metres per kilogram.	7·40	5·10

Explanation:—For the purposes of this notification, the expressions "processed" "fents" and "rags" shall have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 179/72-Central Excises, dated the 24th July, 1972.

[No. 24/76-CE]

G. S. MAINGI, Under Secy.

सा० का० नि० 66 (अ).—केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 158/74 केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1974 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना द्वारा, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) मे विनिर्दिष्ट और उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 की उपमद (1) के अन्तर्गत मूल्यानुसार, शुल्क से प्रभार्य प्रसंस्कृत रेयन और कृत्रिम सिल्क के कपड़े के लिए, उक्त सारणी के, यथास्थिति, स्तम्भ (3) या स्तम्भ (4) मे तत्सम्बन्धी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य नियत करती है ;

परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात,—

(क) ल्यूरिक्स (धात्विक या प्लास्टिक) तंतुयुक्त प्रसंस्कृत रेयन और कृत्रिम रेयन और कृत्रिम सिल्क के कपड़े पर तब लागू नहीं होगी जब ल्यूरिक्स (धात्विक या प्लास्टिक) तंतु की मात्रा कपड़े के कुल भार के 15 प्रतिशत से अधिक हो ;

(ख) प्रसंस्कृत रेयन और कृत्रिम सिल्क के कपड़े के टुकड़ों (फेंट्स) और चिथड़ों को लागू नहीं होगी ।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	छपे हुए या ल्यूरिक्स (धात्विक या प्लास्टिक) तंतु युक्त कपड़े	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)
		(रु० प्रति वर्ग मीटर)	(रु० प्रति वर्ग-मीटर)
1.	पूर्णतः पोलीमाइड (नाइलोन) सूत (फिलामेंट) से बने कपड़े किन्तु निम्नलिखित को सम्मिलित न करते हुए, अर्थात् :—		
	(1) पूर्णतः या भागतः बेष्ठित तंतु या संश्यूनित (टैक्सचर्ड) तंतु, या दोनों से बने कपड़े ;		
	(2) लहरीयादार (प्लीटिड) कपड़े ;		
	(3) उबरे (मखमली) कपड़े;		
	(4) लेस ;		
	(5) साटिन ; और		
	(6) लेनो कपड़े ।		

(1)	(2)	(3)	(4)
	(क) बुने हुए कपड़े :—		
	(i) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अनधिक	30.70	27.70
	(ii) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अनधिक	20.70	17.30
	(iii) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 20 वर्गमीटर से अनधिक	16.40	13.00
	(iv) प्रति किलोग्राम 20 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलो ग्राम 25 वर्गमीटर से अनधिक	15.20	11.80
	(v) प्रति किलोग्राम 25 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 30 वर्गमीटर से अनधिक	13.50	10.00
	(vi) प्रति किलोग्राम 30 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 35 वर्ग मीटर से अनधिक	12.25	8.90
	(vii) प्रति किलोग्राम 35 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 40 वर्गमीटर से अनधिक	11 40	8.00
	(viii) प्रति किलोग्राम 40 वर्गमीटर से अधिक	10.70	7.30
	(ख) वे कपड़े जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं —		
	(i) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अनधिक	31 00	27.50
	(ii) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अनधिक	21.25	17.80
	(iii) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 20 वर्गमीटर से अनधिक	17.15	13.80
	(iv) प्रति किलोग्राम 20 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 25 वर्गमीटर से अनधिक	15.15	11.80
	(v) प्रति किलोग्राम 25 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 30 वर्गमीटर से अनधिक	14.60	11.20
	(vi) प्रति किलोग्राम 30 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 35 वर्गमीटर से अनधिक	13.85	10.40
	(vii) प्रति किलोग्राम 35 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 40 वर्गमीटर से अनधिक	13.80	10.50
	(viii) प्रति किलोग्राम 40 वर्गमीटर से अधिक	13.40	10.00

(1)	(2)	(3)	(4)
2	पोलीमाइड (नाइलोन) सूत (फिलामेंट) तन्तु, जो 25 प्रतिशत से अधिक न हो, और सैलूलोसी उद्भव के सूत (फिलामेंट) तन्तु के सम्मिश्रण से बने कपड़े, किन्तु साटिन, ब्रोसो (जिसमें बुनी ब्रोसो भी है) और संयूतित तन्तु, या वेष्टित तन्तू, या दोनों वाले कपड़ों को छोड़कर—		
	(i) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अनधिक	15.50	13.00
	(ii) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 15 वर्गमीटर से अनधिक	11.60	9.00
	(iii) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 20 वर्गमीटर से अनधिक	9.90	7.40
	(iv) प्रति किलोग्राम 20 वर्गमीटर से अनधिक	9.50	6.80
3	पोलीमाइड (नाइलोन) सूत (फ़िलामेंट) तन्तु और सैलूलोसी उद्भव के संश्लिष्ट स्टेपल रेशों (फ़ाइबर) से कते सूत के सम्मिश्रण से बने कपड़े किन्तु लेसों और ब्रोसो (जिसमें बुने ब्रोसो भी है) को छोड़कर–		
	(क) वे कपड़े जिनमें पोलीमाइड (नाइलोन) सूत (फ़िलामेंट) तंतु 10 प्रतिशत से अधिक न हो—		
	(i) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अनधिक	9.40	6.60
	(ii) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 15 वर्गमीटर से अनधिक	7.90	5.10
	(iii) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अनधिक	7.10	4.30
	(ख) वे कपड़े जिनमें पोलीमाइड (नाइलोन) सूत (फ़िलामेंट) तंतु 10 प्रतिशत से अधिक हो किन्तु 15 प्रतिशत से अधिक न हो—		
	(i) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अनधिक	10.60	7.60
	(ii) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 15 वर्गमीटर से अनधिक	8.60	5.80
	(iii) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अनधिक	7.60	4.80
	सैलूलोसी उद्भव के पूर्णतः सूत (फ़िलामेंट) तन्तु से बने कपड़े, किन्तु (i) सज्जा कपड़ों (जिसमें टैपेस्ट्री भी है) और (ii) मखमल, और (iii) शिफ़ोन और शिनौन को छोड़कर—		
	(क) जेकर्ड बुनावट—		
	(i) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अनधिक	13.60	10.10
	(ii) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 15 वर्गमीटर से अनधिक	10.10	6.70
	(iii) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अधिक	9.60	6.20

(1)	(2)	(3)	(4)
	(ख) जेकर्ड बुनावट से भिन्न--		
	(i) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अनधिक	8.70	7.90
	(ii) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 15 वर्गमीटर से अनधिक	8.20	7.10
	(iii) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अधिक	7.70	6.60
5	सैलूलोसी उद्भव के सूत (फ़िलामेंट) तन्तु और सैलूलोसी उद्भव के संश्लिष्ट स्टेपल रेशों से कते तन्तु के सम्मिश्रण से बने कपड़े किन्तु सज्जा कपड़ों (जिस में टैप्सट्री भी है) को छोड़कर---		
	(i) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अनधिक	8.60	6.30
	(ii) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 15 वर्गमीटर से अनधिक	7.80	5.50
	(iii) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अधिक	7.40	5.10
6	सैलूलोसी उद्भव के संश्लिष्ट स्टेपल रेशों से कते तंतु से पूर्णतया तैयार किए गए कपड़े, किन्तु सज्जा कपड़े (जिसमें टैप्सट्री भी है) को छोड़कर--		
	(i) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अनधिक	8.10	5.90
	(ii) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 15 वर्गमीटर से अनधिक	7.60	5.30
	(iii) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अधिक	7.40	5.10

स्पष्टीकरण :--इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "प्रसंस्कृत" "टुकड़े" या "चिथड़े" अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 179/72 केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 24 जूलाई, 1972 के स्पष्टीकरण में हैं।

[सं० 24/76-सी० ई०]

जी० एस० मैंगी, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976